

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:-13/अ0 प्र0-02-14/2013 4835

/पटना, दिनांक-14/9/22

प्रेषक,

संजय दूबे भा0प्र0से0
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना।
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग सं0-37 के अंतर्गत राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उप मुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-106- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान -उप शीर्ष-0102-बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी मद के विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान इकाई में कुल प्रावधानित राशि ₹ 2000.00000 लाख (बीस करोड़) रू0 मात्र की राशि को बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (बी0आर0आर0डी0ए0) को अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1/अ0प्र0-01-01/2009-5283 दिनांक 20.07.09 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (बी0आर0आर0डी0ए0) के रख-रखाव सुदृढीकरण एवं अन्यान्य आवश्यक व्यय हेतु मांग सं0-37 के अंतर्गत राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उप मुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-106- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान- उप शीर्ष-0102-बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी के अंतर्गत विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान, इकाई में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत कुल प्रावधानित राशि ₹ 2000.00000 लाख (बीस करोड़) रू0 की राशि व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- वित्त विभाग, बिहार, पटना के यथा निदेश एवं समय-समय पर बंधेज के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना राशि की निकासी कर बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development Agency] पटना के CFMS Deposit Account- PNBPLA004 (CTMIS PL Account-PLA239) में संधारित करेंगे।

3- इस योजना का विपत्र कोड संख्या- 37-2515001060102 है जिसका उपयोग कोषागार में भेजे जानेवाले विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदनों में किया जायेगा।

4- बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475ए बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये व्यय पर नियंत्रण रखा जायेगा तथा वित्तीय अनुशासन का पूरी दृढ़ता के साथ पालन करते हुए निर्दिष्ट शीर्ष के तहत ही इस राशि का व्यय किया जाएगा।

5- किसी भी परिस्थिति में इस राशि का अन्यत्र विचलन नहीं किया जायेगा तथा राशि का व्यय निर्दिष्ट शीर्ष में परिभाषित कार्य के लिए ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

6- इस राशि का संधारण वित्त विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पी0एल0 खाते में की जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एवं-4-45/94-301वि0 (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि0 (2) दिनांक 15.09.2005, 303 दिनांक-30.03.22 के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 13/अ0प्र0-02-14/2013 के पृष्ठ संख्या- 161 /टि0 पर दिनांक- 26.8.2022 को प्राप्त है।

8- इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य विभाग) मंत्री से संचिका संख्या 13/अ0 प्र0-02-14/2013 के पृ0- 161 /टि0 पर दिनांक- 9.9.2022 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

14/9/2022

सरकार के विशेष सचिव
/पटना, दिनांक 14/9/22
विश्वेश्वरैया भवन, कोषागार,
को निबंधित डाक द्वारा

ज्ञापांक-13/अ0 प्र0-02-14/2013 4835

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी,
पटना/सिंचाई भवन, कोषागार, पटना (पटना को छोड़कर) को निबंधित डाक द्वारा
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

87

14/9/2022

सरकार के विशेष सचिव
/पटना, दिनांक 14/9/22

ज्ञापांक-13/अ0 प्र0-02-14/2013 4835

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0/ सचिव ब्राडा, ग्रा0का0वि0/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रा0का0वि0/ सभी नोडल पदाधिकारी, ब्राडा, ग्रा0का0वि0/ वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना विभाग (योजना शाखा) एवं प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

87

14/9/2022

सरकार के विशेष सचिव

Chandau

ज्ञापांक-13/अ0 प्र0-02-14/2013 4835 /पटना, दिनांक 14/9/22
प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बेबसाईट पर अविलम्ब
अपलोड कर दी जाय।

Charan

सरकार के विशेष सचिव